

राजस्थान सरकार  
निदेशालय पशुपालन राज. जयपुर

क्रमांक: एफ.11(6) लेखा/सूचना/नि.वि./2011-12/ 5433-5538 दिनांक:- 11/10/17

समस्त आहरण वितरण अधिकारी,  
पशुपालन विभाग,  
राजस्थान

विषय:- निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालनायें भिजवाने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन सचिव, पशुपालन विभाग द्वारा ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 24.07.2017 में बकाया आक्षेपों के 25 प्रतिशत आक्षेप निरस्त कराए जाने के लिए निर्देशित किया गया है । अतः उक्त निर्देशों की पालना में दिनांक 17.10.2017 को राजस्थान राज्य पशुधन प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृपया आपके कार्यालय से सम्बन्धित सभी प्रतिवेदनों (निरीक्षण विभाग, महालेखाकार एवं आन्तरिक निरीक्षण आदि) के आक्षेपों की टोस व पूर्ण पालना नियंत्रण अधिकारी से टिप्पणी कराकर, <sup>संबन्धित लेखाकर्मियों</sup> अपने साथ आवश्यक रूप से लावें ताकि शासन द्वारा आंशिक लक्ष्य प्राप्त किया जा सके ।

क्रमांक: -5539

दि. -11/10/17

(रमेश साँखला)

वित्तीय सलाहकार

प्रतिबिम्बित:- ACP को शमल DDOs को ई मेल तथा पशुपालन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

Prag/SA  
Kushal upload  
11/10/17

10/10/17  
रमेश साँखला  
वित्तीय सलाहकार